2021/186

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थीः– मूलाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी आजडोली तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगणः– रूघाराम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी आजडोली तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरह।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...72 ...सन्–.....2021..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
25.06.2021	प्रार्थी मूलाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी आजडोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण रूघाराम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी आजडोली तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरह, ने पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद आजडोली के खसरा सं0 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113 के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 की धारा 39 की धारा 3(a) की पालना करना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक 24.08.2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
19/8/21	पत्रावली पेश हुई। [illegible] का एक वाद जरिये विद्वान [illegible] खारिज हो चुका है। वाद खारिज होने [illegible] खारिज [illegible] से इस प्रार्थना पत्र [illegible] नी रह जाता [illegible] खारिज। [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.20 15:47:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner